न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2024/153

प्रकरण संख्या 55/24

अनवान

श्रीमती रतनदेवी पत्नि मीठालाल जैन निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता श्री हरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कंदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री देवीलाल पिता श्री हरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कंदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री नारायण पिता श्री हरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कंदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती दऊबाई पत्नि श्री हरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कंदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्रीमती बगदीबाई पुत्री श्री हरलाल शर्मा पत्नि श्री रमेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कंदारिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 11.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कंदारिया पटवार हल्का कंदारिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या नया 263 की आराजी न. 1322/706, 1323/707, 1324/710, 1325/711 किता 4 रकबा 0.1800 है. भूमि स्थित है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीया के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उक्त भूमि के पडौस से विपक्षीगणों की भूमि आ गई और प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकि [illegible] से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण विवाद पैदा किया जा रहा है तथा प्रार्थीया की खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में [illegible] कब्जा करने की धमकीयां देते हुए विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद पैदा किया जा रहा है जिससे प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी [illegible] का निवेदन किया।
3. प्रकरण में पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 से 5 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण
प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता
प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवा
चाहा। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया
पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्र
पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन न
आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहत
विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होत
प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधि
स्वीकार किया जाता है कि मौजा केदारिया पटवार हल्का केदारिया, तहसील भी
उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 263 की आराजी न
1323/707, 1324/710, 1325/711 किता 4 रकबा 0.1800 है. भूमि के चारो दिशाओ
की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/
हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है
पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी
प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नही है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा
तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित क
पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तसीलदार भीण्डर को
जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थ
करेंगे।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:21:06 IST
Reason: SelfAttested